राजस्थान—सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग—5)

क्रमांक एक 27(33)प्राविष्टी—5/Pmay-G/Guidence/ 2018–19 जयपुर, दिनांक ५६ 01. 2020
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बाराँ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अंतर्गत मानसिक रूप से विकिष्ट, वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थियों के आवास निर्माण कराए जाने के संबंध में।

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अंतर्गत आप द्वारा प्रारंभिक पत्र के माध्यम से मानसिक रूप से विकिष्ट वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थियों के आवास निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन वाहा गया है।

उक्त संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 5.5.2 के अनुसार "लाभार्थी के वृद्ध अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह संवर्ग आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार का आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ लाभार्थियों के छुट्टी प्राप्त करने के मामले में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके आवास का निर्माण करने के लिए उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा यमोली स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए।"

अतः उक्त प्रावधानानुसार अक्षम लाभार्थियों के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जावे इसके उपरांत भी छुट्टी हुए लाभार्थियों के आवास निर्माण हेतु उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा यमोली स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए।

(राजेशवर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
1. निजी संचिव, अति. मुख्य संचिव, प्रावि. एवं पंचायि।
2. निजी संचिव, विशेष शासन संचिव, प्रावि।
3. जिला कलक्टर , समस्त राजस्थान
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

(अधीक्षण अभियंता, प्रावि)